न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा।

आदेश प्रत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश प्रत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या 361/2013–14

फूलो देवी बनाम दिनेश यादव एवं 02 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	आदेश उभय पक्ष की और से विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। आवेदकों ने प्रस्तुत वाद खतियान की प्रविष्टि एवं नक्शा में सुधार करने के निर्मित दाखिल किया है जिसके मौजा का नाम अटही थाना बहेड़ी बताया है। परन्तु विपक्षीयों ने कहा है कि मौजा अटही अन्तर्गत उनकी कोई भूमि नहीं है बल्कि विपक्षी की जमीन मौजा अटहर थाना नं0:–27 में है जो वाद पत्र में अंकित नहीं है। वाद पत्र का अनुशीलन करने से विदित होता है कि आवेदकों ने अपने भूमि को मौजा अटही में स्थित होना बताया है। कहीं भी थाना नं0:–27 एवं मौजा अटहर अंकित नहीं किया है। अतएव उपरोक्त अस्पष्टता की स्थिति में आवेदकगन इस वाद अन्तर्गत कोई भी अनुतोष नहीं पा सकते। अतः वाद पत्र अस्पष्टता की स्थिति में खारिज किया जाता है। लेखापित एवं शुद्धित 10/02/14 भु0 स0 उप समाहर्त्ता सदर दरभंगा 10/02/14 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर दरभंगा	